पर वे
हकाम
क्म की
ारी हुए

ायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी कोलायत

बइजलास – श्री प्रदीप कुमार आर.ए.एस.

ा संख्या :– 51 / 2022

1. अलसीराम पुत्र नारायणराम
2. मूलाराम पुत्र श्री नारायणराम
3. लूणाराम पुत्र श्री नारायणराम

जाति मेघवाल निवासी सियाणा जोधासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

..............वादीगण

बनाम

1. ओमाराम पुत्र अमोलखराम
2. गिरधारीराम पुत्र अमोलखराम
3. छोटाराम पुत्र श्री अमोलखराम
4. जगदीश पुत्र श्री कैलाशराम
5. जेठाराम पुत्र श्री कैलाशराम
6. पेमाराम पुत्र श्री अमोलखराम
7. प्रेमदेवी पत्नी श्री स्व. कैलाशराम
8. बगतु पत्नी श्री स्व. अमोलखराम
9. भगवती पुत्री श्री कैलाशराम
10. भंवरी पुत्री कैलाशराम

जाति मेघवाल निवासी सियाणा जोधासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व कोलायत

.........प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकसमा व धोषणात्मक
अर्न्तगत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति अभिभाषकः–

1. श्री जीवराज कुमावत अभिभाषक वादीगण।
2. पेरोकारराज राज्य की लियें।

–: निर्णय :–

दिनांक :– 13.01.2023

17.06.2022 को विचाराधीन प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दाखिल किया गया।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद पत्र बाबत विभाजन अर्न्तगत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत करते हुवे अभिकथन किया कि आराजीयात खसरा नम्ब्र 22 तादादी 6.4200 हैक्टर व खसरा नम्बर 59 तादादी 31.8600 हैक्टर कुल क्षेत्रफल 38.2800 हैक्टर कृषि भूमि जो ग्राम सियाणा जोधासर तहसील कोलायत में स्थित है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 सयुक्त खातेदार काश्तकार है तथा जिसका हिस्सा ग्राम सियाणा जोधासर की संवत 2072 से 2075 की जमाबन्दी में उनके नाम के सामने दर्ज है तथा दर्ज हिस्से अनुसार भूमि के काब्जे काश्त में है। लेकिन काश्तकार शामिलात होने से जमीन को काश्त करने एवं अन्य विकासों मुख कार्यो मे कई प्रकार की व्यवहारिक अडचने होती है। इसलिए वादीगण ने कई मर्तबा प्रतिवादीगण को खाता तकसीम करवाने हेतु कहा लेकिन वे मना हो गये तब वादीगण को यह वाद न्यायालय में लाना पडा। वादीगण ने जमीन जैरे दावा का विभाजन हक व हिस्सा को ध्यान में रखते हु बाई मीट्स एवं बाउण्ड्स करने का निवेदन किया।

3. इस वाद के प्रतिवादीगण को सम्मन बनाम मुदायलाह बिनावर कायमी तनकियात दिल गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 पर रजिस्ट्रर्ड डाक से जारी सम्मन की तामिल हो चु लेकिन वे न्यायालय में उपस्थित नही आयें। अतः उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अम

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

ली गयी। प्रतिवादी राज्य की और से पैरोकारराज उपस्थित आयें। उन्होने अपनी Censect न्यायालय में दी।

मैने योग्य अभिभाषक वादीगण एवं राज्य की और से उपस्थित पैरोकारराज की विभाजन की प्राथमिक डिग्री पर सुनी गयी एवं उस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। चुकि वादीगण ने विभाजन बाई मीट्स एवं बाउण्डस में चाहा है। इसलिए विभाजन की प्राथमिक डिग्री स्वीकार की जाती है। तथा तहसीलदार राजस्व कोलायत को मौका कमिशनर नियुक्त कर आदेश दिये जाते है। कि ग्राम सियाणा जोधासर की सवंत 2072 से 2075 की जमाबन्दी में खसरा नम्बर 22 तादादी 6.4200 हैक्टर व खसरा नम्बर 59 तादादी 31.8600 हैक्टर कुल तादादी 38.2800 हैक्टर जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम के सामने अंकित हिस्से की जमीन का विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स यानि अच्छी से अच्छी व माडी से माडी जमीन पर किया जाकर इस आश्य के विभाजन के प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर जिसमें उनकी भूमि अलग–अलग रंगो से दर्शाते हुए इस न्यायालय में 15 दिवस मे भिजवा दे ताकि पक्षकारान के मध्य विभाजन की अन्तिम डिग्री दी जानी मंजुर की जा सकें। यह भी डिग्री दी जाती है कि जब तक विभाजन की अन्तिम डिग्री जारी नही हो जाती है पक्षकारान एक दुसरे के हिस्से में उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट उत्पन्न नही करें। निर्णय अनुसार प्राथमिक डिग्री व पर्चा बनाया जावें। निर्णय व डिग्री की एक प्रति तहसीलदार राजस्व कोलायत को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

तहसीलदार राजस्व कोलायत को पालनार्थ प्रेषित की जावें। तहसीलदार राजस्व कोलायत को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप कुमार)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत

25/ 19-01-2023.

निर्णय एवं डिक्री की प्रति तहसीलदार (राजस्व) कोलायत को पालनार्थ प्रेषित है।

(प्रदीप कुमार)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत